FORM No. III

App-A
Crm-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत ---------------------------------- मुकाम ----------------------------------

भैरा बनाम शिवराजसिंह

केस्स मुकदमा [illegible] नं. ---------- 28 सन 2019 [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/8/19	प्रार्थी/वादी की ओर से वकील रूपसिंह राणावत ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआर एक्ट का प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जॉच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस एक तरफा सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें मात्र खातेदार अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/ सीमांकन कराना चाहता है, वकील प्रार्थी ने बताया कि मौजा राणावतों की सादडी पटवार हल्का पटोलिया तहसील भूपालसागर की खाता संख्या 167 में स्थित आराजी संख्या 194, 195, 196, 197 कुल किता 4 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा वह अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से हम प्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण हम प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी /सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2073 से 2076 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है जो अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/ सीमांकन कराना चाहते है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा राणावतों की सादडी पटवार हल्का पटोलिया तहसील भूपालसागर की खाता संख्या 167 में स्थित आराजी संख्या 194, 195, 196, 197 कुल किता 4 की पुख्ता पत्थरगढ़ी दोनों पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हों व कोई प्रकरण विचाराधीन न हो तो पत्थरगढ़ी किया जाने हेतु 500/– रूपये शुल्क पर तहसीलदार भूपालसागर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौके पर उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी मौके पर की जावें पत्थरगढ़ी आदेश कि पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि उक्त आराजियात से सम्बधित कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। (अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner